इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2018-फाल्गुन 10, शक 1939

### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

फा. क्र. 84 (13)-चार-2017-उपचुनाव-48.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में 27-कोलारस एवं 34-मुंगावली विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पद को भरने हेतु सम्पन्न हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा (प्ररूप 21-घ) जिनमें निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं.

एस. एस. बंसल, सचिव.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

> प्ररूप 21घ (नियम 64 देखिए)

( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

27 कोलारस विधान सभा उप-निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

श्री महेन्द्र-रामिसंह यादव ''खतोरा'' (नाम) ग्राम व पोस्ट खतोरा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (पता)¹ [जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं]. उस सदन में

श्री रामसिंह यादव ''दादा'' की मृत्यु के कारण\*

घोषित कर दिए जाने के कारण\* हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं,

स्थान : शासकीय आई.टी.आई., कोलारस

तारीख: 28 फरवरी 2018

हस्ता./--

( आर. ए. प्रजापति ) रिटर्निंग आफिसर, 27-कोलारस, विधानसभा उप-निर्वाचन 2018.

\*जो समचित न हो उसे काट दीजिए.

#### CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21D (See Rule 64)

(For use in Elections to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of Representation of the People Act, 1951.

Bye-Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh (State/Unionterritory) from 27-Kolaras Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Mahendra-Ramsingh Yadav "Khatora" (Name)

Village & Post Khatora Tehsil Badarwas Dist. Shivpuri, (Address)<sup>1</sup> [sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Ram Singh Yadav "Dada" having been declared vacant.

Place: Govt I. T. I. KOLARAS

Date: 28th February 2018.

Sd./-(R. A. PRAJAPATI) Returning Officer, 27-Kolaras Assembly Bye Election 2018.

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

034 मंगावली विधान सभा उप-निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (नाम) ग्राम सूरेल, पोस्ट खिरकाटांका, तहसील चन्देरी (पता)¹ [जो इंडियन नेशनल कॉॅंग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं].

उस सदन में

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा की मृत्यु के कारण

घोषित कर दिए जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं,

स्थान : अशोकनगर, मध्यप्रदेश तारीख : 28 फरवरी 2018

हस्ता./(रवीश श्रीवास्तव)
रिटर्निंग आफिसर,
034-मुंगावली, विधानसभा
उप-निर्वाचन 2018.

# CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21D (See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of Representation of the People Act, 1951.

Bye-Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh (State/Unionterritory) from 034-Mungaoli Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Brajendra Singh Yadav (Name)

Village Surael, Post Khirkatanka, Tehsil Chanderi, Distt. Ashok Nagar (Address)<sup>1</sup> [sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised/registered political party] has been duly elected to fill vacancy caused in that House by the death of Shri Mahendra Singh Kalukheda having been declared vacant.

Place: Ashoknagar (M. P.) Date: 28th February 2018. Sd./(RAVISH SHRIVASTAVA)
Returning Officer,
34-Mungaoli Assembly
Bye Election 2018.